न्यायालय – विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, फिरोजाबाद।

उपस्थित – **शाम कुमार**, एच०जे०एस०

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–**1645/2021**

(CNRNo.UPFD01-003693-2021)

कालीचरन पुत्र श्री सूरजपाल, निवासी– तजापुर, थाना नारखी, जिला फिरोजाबाद

------- प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० सरकार -------- विपक्षी।

अपराध संख्या–495/2020

धारा–**498ए, 304बी,323,506** भा०दं०सं०,

धारा–**3/4** दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना– नारखी, जिला–फिरोजाबाद।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त कालीचरन की तरफ से यह जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–495/2020, अंतर्गत धारा 498ए,304बी,323,506 भा०दं०सं० एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पुलिस थाना नारखी, जिला फिरोजाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा अजय कुमार पुत्र भूप सिंह, निवासी नगला मान सिंह, थाना खैरगढ जिला फिरोजाबाद द्वारा थाना नारखी जिला फिरोजाबाद पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उसकी बहन कुमारी कल्पना की शादी 7 मई,2019 को की गई थी। को, उसके पति कालीचरन ने दिनांक 16.11.2020 को समय करीब 18.00 बजे मारकर फांसी पर लटका दिया। कल्पना के ससुराल वाले आये दिन दहेज की मांग कभी गाड़ी, कभी चैन, कभी पैसों की मांग करते थे एक बार तो दो लाख रूपये तक की मांग की, न देने पर हर रोज लड़की को मारते पीटते थे तथा कालीचरन का भाई अनिल उसकी छोटी बहन अर्चना से जबरन शादी करने की धमकी देता था। शादी न करने पर उसकी बहन कल्पना को मारने की धमकी देता था। मांगों को पूरा ना कर पाने के कारण, कालीचरन, अनिल कुमार, पिन्टू, बसन्त कुमार, कालीचरन की भाभी नीलम तथा उनकी मॉ राजबेटी ने मिलकर मार डाला।

वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त व पॉच अन्य के विरूद्ध पुलिस थाना नारखी, जिला फिरोजाबाद पर अपराध संख्या–495/2020 के तहत भा०दं०सं० की धारा–498ए,304बी,323,506 एवं दहेज

प्रतिषेध अधिनियम की धारा–3/4 का मुकदमा पंजीकृत हुआ। जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से यह कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह पूर्णतया निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त मृतका का पति है। मृतका शुरू से ही काफी चिड़चिड़े स्वभाव की थी और वह स्वतः आत्म हत्या करने की कई बार धमकी दे चुकी थी तथा उसने स्वतः आत्म हत्या की है। घटना प्रथम सूचना रिपोर्ट में शाम 6 बजे की दर्शायी गयी है तथा थाने पर एफ०आई०आर० रात्रि 8.10 बजे दर्ज होना बताया गया है। मृतका से कभी भी अतिरिक्त दहेज नहीं मांगा गया है और न ही किसी परिवारीजन से अतिरिक्त दहेज की मांग को किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोडे जाने की कृपा की जाये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का सख्त विरोध किया गया है एवं जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

मैने जमानत प्रार्थना पत्र के साथ मु०अ०सं० 495/2020, धारा–498ए,304बी,323,506 भा०द०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट, थाना नारखी, जिला फिरोजाबाद की तलबशुदा केस डायरी का सम्यक परिशीलन किया तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के विद्धतापूर्ण तर्कों को सुना।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ सत्र परीक्षण सं० 776/2021 सरकार बनाम कालीचरन आदि मु०अ०सं० 495/2020, धारा– 498ए, 304बी, 323, 506 भा०द०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट, थाना नारखी, जिला फिरोजाबाद की पत्रावली पर मौजूद केस डायरी एवं अन्य विवेचन पत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया। तलबशुदा पत्रावली के अवलोकन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांकित 16–11–2020 समय 18.00 बजे के संदर्भ में थाना नारखी में दिनांक 16–11–2020 को समय 20.10 बजे मुकदमा में अभियुक्त जो कि मृतका का पति है के साथ अन्य सह अभियुक्तगण को नामजद करते हुए पंजीकृत किया गया है व घटना स्थल से थाने की दूरी 10 कि०मी० है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के द्वारा अन्य सह अभियुक्तगणों के साथ गाड़ी, चैन व पैसे से संदर्भ में दहेज की माँग करने के लिए, मृतका को प्रताड़ित करने एवं मृतका की फांसी लगाकर हत्या करने के इंद्राज को पाया गया है। मृतका की मृत्यु प्रथम सूचना रिपोर्ट कथानक तहत विवाह के डेढ वर्ष के भीतर हो गयी है। केस डायरी के साथ संलग्र मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु का कारण asphyxia दम घुटने से होने के इंद्राज को पाया गया है। केस डायरी में मृतका से

दहेज हेतु माँग किये जाने के संदर्भ में वादी मुकदमा व अन्य साक्षियों के बयान को दर्ज पाया गया है। मामले में तदनुसार कारित अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं पूर्व में सह अभियुक्त मृतका की सास का जमानत प्रार्थना पत्र सं० 05/2021 दिनांक 15–01–2021 को अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 1, फिरोजाबाद के द्वारा निरस्त किये जाने के कारण इस स्तर पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाने का कोई आधार उत्पन्न नहीं होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त कालीचरन द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र दिनांकित 20–05–2021 निरस्त किया जाता है। अभियुक्त को नियमानुसार आदेश की प्रति निःशुल्क प्रदान किया जावे।

(शाम कुमार)
विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/ एस०टी०एक्ट),
फिरोजाबाद।

दिनांकः 05.07.2021